Case Study-12

श्रावण कुमार यादव
मुसतानि/सुरक्षा

रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट पर कार्यरत बल सदस्यों द्वारा रजिस्टरों में निजीधन घोषणा एवं अन्य विवरणों की प्रविष्टि नहीं किये जाने के संबंध में --

- पूर्वोत्तर रेलवे के एक मंडल में रेलवे सुरक्षा बल, पोस्ट पर जांच के दौरान यह पाया गया कि बल सदस्यों द्वारा ड्यूटी पर प्रस्थान के समय निजी धन की घोषणा संबंधित पंजिका में नहीं की जा रही है । यदि ड्यूटी हेतु 03 जवान प्रस्थान किए हैं तो उनमें से कुछ लोगो ने निजी धन की घोषणा किया है पर उनका हस्ताक्षर नहीं है तथा कहीं-कहीं पर मात्र उनका नाम लिखकर छोड़ दिया गया है तथा कैश की घोषणा नहीं की गई हैं ।
- रेलवे सुरक्षा बल, पोस्ट पर मेन्टेन की जाने वाली हथियारों और गोला-बारूद की दैनिक निकासी और वापसी से संबंधित पंजिका में कोत कमांडर द्वारा हथियारों और गोला-बारूद जारी करने के उपरांत वापसी लेते समय पंजिका में वापसी की तिथि, समय एवं हस्ताक्षर आदि विवरण को संबंधित कालम में दर्ज नहीं किया जा रहा है, जबकि हथियार और गोला-बारूद के रख-रखाव, साफ-सफाई एवं उसका नियंत्रण करना कोत कमांडर की ज़िम्मेदारी होती है, और इसमें छोटी सी भी चूक होने पर किसी के जान को खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- रेलवे सुरक्षा बल, पोस्ट प्रभारी द्वारा भी पोस्ट पर उपलब्ध इन रजिस्टरों को चेक तथा हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है।

****